191/2016/प्र0पत्र 041R21 कैलाशचन्द बनाम श्रीमती गुमानी देवी व अन्य

17-02-2021

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश हुई । विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 श्री निर्मल कुमार जैन ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 7.4.2016 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3/अपीलांटस के द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष अधी0न्याया0 के द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.2.2016 के विरूद्ध अपील दिनांक 6.4.2016 को प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अपील के कोई नोटिस ही जारी नहीं किये गये, ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया एवं विवादित आदेश दिनांक 7.4.2016 को ही पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है । विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार अपील प्रस्तुत किये जाने पर विधिवत् रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया जाना चाहिये था, सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद में पक्षकारान की सहमति से वर्तमान जमाबंदी के इंद्राज के अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.2.2016 को पारित की गई है जैसा कि अधी0न्याया0 के निर्णय के पैरा संख्या 3 में उल्लेखित है । पक्षकारान की सहमति के उपरांत वादपत्र में विवाद बिन्दु कायम किये जाने एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत किये जाने का विधि के अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, पक्षकारान की स्वीकारोक्ति के अनुसार ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री अधी0न्याया0 द्वारा पारित की गई है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अपीलांटस को कोई अधिकार नहीं था किन्तु अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में गलत तथ्यो का उल्लेख करते हुए न्यायालय को गुमराह कर विवादित आदेश प्राप्त किया है जो विधिसंगत नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2015 में पक्षकारान की सहमति से सुनवाई कर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की जा चुकी है इसके पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा वाद पत्रावली पर कोई तारीख पेशी ही नहीं दी गई एवं वादपसत्र का निर्णय किया जा चुका है ऐसी अवस्था में पुनः तारीख पेशी दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता परन्तु अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अधी0न्याया0 के समक्ष आगामी पेशी दिनांक 22.2.2016 होना दर्शाया है जो पूर्णतया गलत है । बहस में आगे कथन किया कि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार सहिस्सेदार खातेदार दर्ज है इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा वर्तमान जमाबंदी के इंद्राज के अनुसार ही बहिस्सा बराबर बंटवारा हेतु निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिसमें अधी0न्याया0 के द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । विधिनुसार आवेदनकर्तागण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को कोई नोटिस नहीं दिये जाने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.4.2016 निरस्त किये जाने योग्य है । अतः आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 141/2016 में पारित निर्णय दिनांक 7.4.2016 निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विद्वान वकील अपीलांटस/अप्रार्थीगण श्री शुभकरण चौधरी ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 7.4.2016 विधिसम्मत् निर्णय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में आगामी पेशी दिनांक 22.2.2016 नियत थी जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने

लगातार

लगातार —

जवाबदावा तो रिकार्ड पर ले लिया लेकिन उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 18.2.2016 को हो जाने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रहा है इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय दस्तावेज पत्रावली पर लिया जाना विधिसम्मत् नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं लिये जाकर संलग्न पर सलग्न किये जाने के आदेश पारित किये जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु न तो अंतिम अवसर प्रदान किया गया है ना ही जवाबदावा बंद करने की कोई आदेशिका है । इस प्रकार दिनांक 18.2.2016 को बहस सुने बिना ओर जवाबदावा प्रस्तुत हुए स्वप्रेरणा से ही बहस सुनने का हवाला देकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम किये बिना तथा अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की थी जो विधिसम्मत् नहीं होने से न्यायालय हाजा ने प्रकरण को अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हाजा न्यायालय का आदेश दिनांक 7.4.2016 का अवलोकन किया गया । उक्त आदेश के अनुसार अप्रार्थीगण/अपीलांटस कैलाशचंद, प्रकाशचंद एवं महेन्द्र के द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 गुमानी व रंगलाल के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.2.2016 वाद संख्या 62/2015 के विरूद्ध धारा 223 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपील दिनांक 7.4.2016 को प्रस्तुत की गई तथा उसी दिन दिनांक 7.4.2016 को ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.2.2016 को निरस्त कर दिया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत एवं विधिक प्रकिया के विपरीत है । इस संबंध में आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार :– " Re-haearing on application of respondent against whom ex parte decree made.-Where an appeal is heard ex parte and judgment is pronounced against the respondent, he may apply to the Appellate Court to re-hear the appeal, and if he satisfies the Court the notice was not duly served or that he was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, the Court shall re-hrear the appeal on such terms as to costs or otherwise as it thinks fit to impose upon him. " पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो को बिना नोटिस/सम्मन जारी किये ही विधिक प्रकिया के विपरीत एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है जो विधिसंगत नहीं माना जा सकता है एवं अपास्त किये जाने योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा एवं हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 00141/2016 बउनवान कैलाश चन्द वगैरह बनाम गुमानी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 7.4.2016 को निरस्त किया जाता है एवं उक्त उनवानी पत्रावली पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जाते है । आदेश आज दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

कैलाशचन्द बनाम श्रीमती गुमानी देवी व अन्य

191/2016/प्रा०पत्र 05/21

| | | |
|---|---|---|
| लगातार – | 17.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । आदेश की प्रति अपील संख्या 141/2016 उनवानी कैलाशचंद बनाम गुमानी में रखी जावे । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।<br>आदेश आज दिनांक 17.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।<br><br>(मेघना चौधरी)<br>राजस्व अपील प्राधिकारी,<br>अजमेर<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | |